

सं. 14036/36/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 17/05/2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त,
लोक सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमान/श्रीमती जगदीश प्रसाद द्वारा
मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 23.03.2013 के उपर्युक्त आर टी
आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 23.03.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। चूंकि
आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसे उपयुक्त कार्रवाई करने तथा उपरोक्त आवेदक को सीधे सूचना प्रदान
करने हेतु आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय/-----में जमा कर दिया गया है।

भवदीया,

ए/के 1221-2309

(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं

अवर सचिव (डी पी-11)

दूरभाष : 23092856

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

श्री/श्रीमान/श्रीमती जगदीश प्रसाद, प्लॉट, 22-92, पहला तल
शाहली नगर, दिल्ली - 110052

इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त
सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

Amal Singh
1358
21/5

सेवा में,

श्रीमान/श्रीमती हेम सेखरी शास्त्री सरकार

(विषय) सरकारी मंत्रालयों के फर्जी लेटर देकर सरकारी नौकरी का सातों देकर ठग
पुलिस से साब-जाह कराना


मेरा नाम जगदीश प्रसाद सुपुत्र श्री सागरमल निवासी ए-92, प्रथम तल शास्त्री नगर, दिल्ली में किराये के मकान में रहता हूँ। मैं एक गरीब परिवार जो सिंधाना जिला-झुनझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ और दिल्ली में डोर-टू-डोर कम्प्यूटर रिपेयरिंग का काम करता हूँ। करण सिंह ने मेरे को, मेरे परिवार को व मेरे रिस्तेदारों को करण सिंह पुत्र विरेन्द्र निवासी 1952/40 नाईवाला करोल बाग, नई दिल्ली-110005 सरकारी नौकरी दिलवाने के वास्ते विभिन्न मंत्रालयों के पत्र देकर 15,50,000.00 रुपये ठग लिया है जो कि अपने आपको श्रीमान सलमान खुशीद जी का खास आदमी बताता था और नई डिजायर गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया व लाल बत्ती लगाकर घूमता था जिससे ज्ञांसे में आकर हम लोगों ने सरकारी नौकरी मिलने की लालच में आकर ठगे गये। करण सिंह के सरकारी नौकरी देने के मंत्रालयों के फर्जी लेटर देकर ठग लिया है। जिसकी शिकायत हम लोग जून 2012 से सारे साबूत सहित काफी पुलिस आफिसरों को दे चुके लेकिन भ्रष्ट पुलिस रिश्वत खाकर कोई जांच और हमारी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर रही है। सारी शिकायतों की कापी आपको दे रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि हम गरीबों की मदद करें और हमारी एफ.आई.आर. जल्द से जल्द दर्ज करवाने में सहयोग करें। अब आखिरी आशा की उम्मीद आपसे ही है और जो दो-चार मित्र मेरी मदद करने थानों में जाते हैं उनको भी पुलिस डरा देती है कि आप लोग शिकायतकर्ता की मदद न करें। नहीं तो आप फस जायेंगे और मेरे मददगारों से पूछती है कि आप किस लालच में आकर शिकायतकर्ताओं की मदद कर रहे हो। इससे साफ जाहिर है कि रिश्वत खाकर मुझ शिकायतकर्ता को थाना करोलबाग

में सारे कपड़े उतरवाकर चीटर के सामने नंगा किया जिसकी शिकायत मैंने
मानवाधिकार आयोग में भी कर रखी है और विजिलेंस, आसफअली रोड पर भी
कर रखी है 6 महीने से पुलिस के बड़े अधिकारी जांच जारी है का झांसा देते आ
रहे हैं जबकि सारे साबूत व गवाह काफी बार हम दे चुके हैं हम रोजी-रोटी के
मोहताज हो गए हैं। और करण सिंह व तेजेन्द्र सिंह खुलेआम थानों में इस तरह
हमारे सामने उठ-बैठ करते हैं जैसे पुलिस आफिसर यही चीटर लोग हैं। क्या
दिल्ली पुलिस यह कुकृत्य जो हमारे साथ हो रहा है वह उचित है।

आपसे एक गरीब परिवार निवेदन करता है कि हमें न्याय दिलाया जाए और
लापरवाह व भ्रष्ट आफिसरों की भी हमारी जांच के साथ जांच की जाए।

धन्यवाद!

एक दुखी व अपमानित शिकायतकर्ता



जगदीश प्रसाद

ए-92, प्रथम तल, शास्त्री नगर

नई दिल्ली-110 52

मो. 9213193776